भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 116
जिसका उत्तर गुरुवार, 2 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

25 वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमे

116. # श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के न्यायालयों में 25 वर्ष से अधिक समय से कितने मुकदमे चल रहे हैं ;
(ख) क्या न्याय हेतु लंबे समय तक चल रहे मुकदमों पर होने वाले खर्च का कोई अध्ययन कराया गया है जिससे यह पता चल सके कि आम आदमी पर न्याय पाने में कितना आर्थिक दबाव पड़ता है ; और
(ग) मुकदमों के अत्यधिक लंबे समय तक चलने के कारण क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : 27-01-2023 तक एकीकृत वाद प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से प्राप्त डाटा के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में 25 वर्षों से अधिक समय तक लंबित वादों की संख्या 81 है । 30-01-2023 तक राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 25 वर्षों से अधिक समय तक लंबित वादों की संख्या क्रमशः 1,24,810 और 2,76,208 है ।

(ख) : लंबे समय से लंबित मामलों में होने वाली लागत का पता लगाने के लिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है ताकि न्याय पाने के लिए एक आम आदमी को जिस आर्थिक दबाव से गुजरना पड़ता है उसका पता लगाया जा सके ।

(ग) : लंबित मामलों की समस्या एक बहु आयामी समस्या है । देश की जनसंख्या में वृद्धि और जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ ही साल दर साल नए मामलों की फाइलिंग भी बढ़ रही है । न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के कई कारण हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द और भौतिक अवसंरचना, बार-बार स्थगन और मानीटर करने की पर्याप्त व्यवस्था में कमी, सुनवाई के लिए ट्रैक और बहु मामले, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हित-धारकों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादियों तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं के उचित आवेदन सम्मिलित हैं, के सहयोग की कमी है । इसके अतिरिक्त, 2020 के आस-पास आने वाली महामारी ने भी पिछले तीन वर्षों में लंबित मामलों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । यह उल्लेखनीय है कि आपराधिक न्याय प्रणाली विभिन्न अभिकरणों अर्थात् पुलिस, फोरेंसिक प्रयोगशाला, हस्तलेख विशेषज्ञ और विधिक चिकित्सा विशेषज्ञ की सहायता से कार्य करती है । सहबद्ध अभिकरणों द्वारा आपसी सहायता प्रदान करने में देरी से भी मामलों के निपटान में विलंब होता है ।

****